[illegible],
[illegible], [illegible] जिला परिषद,
[illegible]

संख्या– [illegible]/परिषद [illegible]/[illegible]/[illegible] [illegible]

–[illegible]

[illegible] जिला परिषद द्वारा [illegible] हेतु [illegible] जिला परिषद [illegible] को अनुमोदन प्रदान किए जाने के पश्चात [illegible] जिला परिषद, [illegible] के सम्बद्धता/[illegible] विवरण प्रदान किए जाने हेतु दिनांक [illegible] को आयोजित जिला परिषद, [illegible] की [illegible] में परिषद कार्यालय में विचार प्रस्तुत हुई। बैठक में सत्र [illegible] हेतु [illegible] की सम्बद्धता/पूर्व के सम्बद्धित [illegible] का सम्बद्धता विस्तार/[illegible]/[illegible] [illegible]/[illegible] हेतु सत्र [illegible] हेतु सम्बद्धता प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।

[illegible] के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के [illegible] में [illegible] [illegible] सम्बद्धता [illegible] [illegible] सत्र [illegible] [illegible] [illegible]

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

कार्यालय
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या– प्रशिक्षण/परिषद सम्बद्धता/2020/[illegible] लखनऊ: दिनांक 15-6-2020

–कार्यालय ज्ञाप–

प्राविधिक महाविद्यालय/संस्थानों जिला परिषद, नई दिल्ली/महानिदेशालय सीमा प्रौद्योगिकी नई दिल्ली द्वारा संचालित सत्र 2020-21 हेतु विभागीय संबंधित महाविद्यालयों/संस्थानों को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-6-2020 को आयोजित प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ की बैठक में परिषद कार्यालय से प्रेषित प्रस्ताव पूर्व। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु प्रस्तावित नई संस्थानों को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थानों को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश संख्या वृद्धि सम्बन्धित प्राप्त आवेदनों पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मद-4 में लिये गए निर्णय के अनुसार सत्र 2020-21 में सम्बद्ध संस्थानों का पंजीकरण कराया गया। सम्बद्धता समिति द्वारा संस्था विस्तार/विभाग का निम्नवत निर्णय लिया गया –

"किसी शैक्षिक सत्र में स्थापित विभागीय इन पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, उन्हें सत्र 2020-21 हेतु पीसीएसआईटी द्वारा अपने सम्बन्ध अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं ने पीसीएसआईटी द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार सम्बद्ध सत्र के उपयुक्त प्रविष्ट पाठ्यक्रम/प्रवेश संख्या के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं तदोपरान्त पीसीएसआईटी द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-06-2020 को आयोजित सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्थाओं को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं प्रवेश संख्या वृद्धि सम्बन्धित विस्तार प्रदान की जाती है :–

क्रम संख्या	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पीसीएसआईटी द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश संख्या	पीसीएसआईटी/परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश संख्या
1	[illegible]	[illegible] जिला [illegible] [illegible], [illegible]।	डिप्लोमा इन [illegible]	[illegible]	[illegible]

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- संस्था पीसीएसआईटी/पीसीएसआईटी द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- संस्था द्वारा प्रवेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एवं उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद विश्वविद्यालयों उत्तर, [illegible] विश्वविद्यालयों-2010 तथा उनमें निर्गत नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी एवं मूलभूत निर्माण समिति द्वारा निर्धारित मूलभूत सुविधा एवं आवश्यक प्रयोगशालाओं हेतु रू0 [illegible]/- करोड़, दो अधिक प्रयोगशाला हेतु रू0 [illegible]/- करोड़, एक एक से अधिक प्रयोगशालाओं (3) अधिक प्रयोगशाला के अतिरिक्त हेतु रू0 [illegible] प्रति प्रयोगशाला मूलभूत की धनराशि उ0प्र0/संस्था से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त प्राप्त/उपलब्ध से प्रदान के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये गये शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया

[illegible] आवश्यक होगा। योग्य शिक्षिका समिति द्वारा वर्ष सत्र 2020-21 हेतु चयन का मूल्यांकन किया जाना है, जो योग्य की गणना [illegible] होगी।

- ✓ [illegible] जिला समिति [illegible] की [illegible] जिला [illegible] शिक्षिकाओं-2020 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ [illegible] के अनुसार [illegible] समिति द्वारा [illegible] की [illegible] किया जायेगा। [illegible] के नियम एवं [illegible] की स्थिति में अन्तर [illegible] के निर्णयानुसार ही [illegible] की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ [illegible] के राज्य-स्तरीय पत्र निर्गत [illegible] के अनुसार [illegible] एवं [illegible] मूलक [illegible] होगा।
- ✓ [illegible] के [illegible] हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ [illegible] द्वारा [illegible] जिला/[illegible]/[illegible]/[illegible]/[illegible] एवं [illegible], [illegible] जिला, [illegible], [illegible] समिति, [illegible] तथा [illegible] जिला समिति, [illegible] द्वारा [illegible] एवं [illegible] समिति, [illegible], [illegible] का [illegible] करने के लिये [illegible] होगा।
- ✓ [illegible] की [illegible] के [illegible] में अनुमोदन प्राप्त करने के आवश्यक नहीं है [illegible] के [illegible] के लिए [illegible] समिति, [illegible] शिक्षा निदेशालय एवं [illegible] शिक्षा [illegible] द्वारा [illegible] की [illegible] किया जाता है तथा [illegible] की [illegible] समिति [illegible] की करनी होगी।
- ✓ [illegible] की [illegible] [illegible] की [illegible] के अनुसार [illegible] समिति, [illegible] द्वारा [illegible] के लिए [illegible] समिति हेतु [illegible] होने के पूर्व [illegible] के अनुमोदन प्राप्त कर समिति [illegible] द्वारा [illegible] **(कार्यभिभारित के कारण से [illegible] शाखा [illegible] जिले करेंगे)** अनुमति नहीं प्राप्त की जायेगी।
- ✓ [illegible] द्वारा [illegible] हेतु निर्गत [illegible] के अनुपालन [illegible] आवश्यक होगा।
- ✓ [illegible] के [illegible] के [illegible] की [illegible] के [illegible] की [illegible] [illegible], [illegible], [illegible] किया जाने वाला मूलक, [illegible] मूलक आदि का [illegible] करना होगा।
- ✓ [illegible] हेतु [illegible] करने के [illegible] होने के [illegible] में [illegible] आवश्यक [illegible] सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ [illegible] को सुनिश्चित [illegible] कि [illegible] के [illegible]/[illegible] [illegible] की [illegible] हेतु [illegible] समिति को [illegible] [illegible] [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] द्वारा [illegible] [illegible] में [illegible] किया जाता है तथा [illegible] की [illegible] [illegible] है कि [illegible] [illegible] का [illegible] किसी [illegible] कार्य के लिए [illegible] है तो [illegible] संस्था की [illegible] करवाने किये जाने की अनुमति नहीं जायेगी।
- ✓ [illegible] कार्य का अनुपालन न किये जाने अथवा कार्य का [illegible] किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(जिला [illegible] शिक्षा
अधिकारी

पृ०सं०- [illegible]/[illegible]/2020/ 1812-3141 दिनांक 16-09-2020

प्रतिलिपि-[illegible]/निदेशक, [illegible] जिला [illegible] [illegible], [illegible]।

जिला [illegible] शिक्षा
अधिकारी

कार्यालय,

अधि0 प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ

संख्या:- प्रशि0/परिषद सम्बद्धता/2021/3337 लखनऊ: दिनांक: 09/08/2021

:कार्यालय ज्ञाप:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु प्रस्तावित नई संस्थाओं को सम्बद्धता: पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार: पाठ्यक्रम: प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य सही पाए जाने पर सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता: सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नवर्णित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4847-OM SAI VINDHY COLLEGE OF PHARMACY, MIRZAPUR			
क्र0सं0	पाठ्यक्रम का नाम	एआइसीटीईद्वारा सीओएपीद्वारा द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

✓ संस्था एआइसीटीईद्वारा/सीओएपीद्वारा द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।

✓ संस्था उ0प्र0 प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1952 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, सेमेस्टर विनियमावली-2018 तथा अन्य निर्गत नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रमों हेतु रू0 36150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रू0- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक लाख दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही परीक्षा प्रवेशपत्र में जमा किया जायेगा। उपरोक्त के

अतिरिक्त सत्राध्यापकों के शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस नियंत्रण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की संशोधित दरें लागू होंगी।

- ✓ संस्था को (उ0प्र0) अशासकीय शिक्षा संस्थानों तथा उन्हें संबंधित, संलग्नता को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद् द्वारा आवंटित सीटों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को शासन-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा कराना होगा।
- ✓ संस्था को [illegible] से उपलब्धि जमा हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, अशासकीय शिक्षा, उ0प्र0, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद्, उ0प्र0 तथा अशासकीय शिक्षा परिषद्, उ0प्र0 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि वे सी.आई., नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। अशासकीय शिक्षा परिषद्, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद्, अशासकीय शिक्षा निदेशालय एवं अशासकीय शिक्षा निदेशक उ0प्र0 उत्तर प्रदेश शासन को कोई पक्ष दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त क्षतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा काउंसिलिंग के लिए आवंटित प्रवेश परीक्षा हेतु काउंसिलिंग पात्र होने के पूर्व पीसीआई से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद् कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउंसिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, स्टाफ-सरंचना, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रवास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण प्रशिक्षण हेतु अपर्याप्त भवनादि उपलब्ध कराने के साथ दिनांक रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित करे कि संस्था में संचालित संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपलब्ध का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो सम्बन्ध संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।

- ✓ संस्था के स्थायीय निर्माण ढाँचा आदि संबंधी भी भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा एआईसीटीई/पीसीआई/परिषद् के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता वापसी या अनुपालन न किये जाने अथवा वापसी या उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पृ0सं0- परिषद्/सम्बद्ध/2021/3538-4809 दिनांक: 08/08/2021

प्रतिलिपि:-

[illegible] OM SAI VINDHY COLLEGE OF PHARMACY, MIRZAPUR

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव